

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु.नं 151/17 तारीख 2 जू 4-12-17

उपनाम - मैरु योगी बनाम श्रीताराम जोगी
मेहन्दीपुर

दावा बाबत तफास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा व द्योषणा
स्वातदारी

वादी की ओर से श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने दावा
बाबत तफास्मा स्थायी निषेधाज्ञा एवं द्योषणा स्वातदारी अन्तर्गत
धारा 53, 88, 188 के तहत पेश किया। जमा बन्दी का अयकोकन
किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीजनों को जरिये
सम्मन से तलब कर पत्रावली दिनांक 4-1-18 को पेश हो।

6401-19

6-12-17

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

4-1-18

वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 13, 16, 17 की ओर से
श्री मनोज कुमार शर्मा A.C.V. ने कालतनामा पेश
किया। तथा इन्होंने कथन किया कि प्रतिवादी नं. 14
फौत हो चुका है। प्रतिवादी नं. 3, 4, 5, 6, 10, 19 बाबत
सूचना उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी नं. 1, 8, 11, 12 ने
सम्मन प्राप्त करने से इंकार किया है अतः प्रतिवादी नं.
1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 19 के विकल एवं पक्षीय काफकीली
की जाती है। प्रतिवादी नं. 2 के फौत की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
प्रतिवादी नं. 7, 15, 18 की रसीद A.C.V. प्राप्त नहीं हुई है।
व्यक्तजार ताभील व पेश करने दए काफम मुकामी प्रतिवादी
नं. 2, 14 दिनांक 5-2-18 को पेश हो।

5-2-18

वकुलाय उपस्थित पीठाराम अधिकारी अवकाश
पर पधारे है। अतः पत्रावली गताबुसर
दिनांक 7-3-18 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
<p>9.9.19</p> <p>5486</p> <p>9.9.19</p>	<p>नकुलाम उपस्थित/पीठसन अधिकारी अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली कताबुसारे दिनांक 1-10-19 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>
<p>1-10-19</p>	<p>नकुलाम उप०। प्रतिवादी नं. ६, बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी नं. 14 की द० कायम मुकाम एवं नोपिस्त तथा प्रतिवादी नं. 7, 15, 18 के नवीन पते पर समान तलब पेश नहीं किये है। P.O. सा० करौली पधारे है। आर्जिद दिनांक 5.11.19 को पेश हो।</p>
<p>5.11.19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं है। कई बार आवाज दिलवाई गई फिर भी वादी वकील एवं वादीगण में से यह दावा अदम हाजिरी एवं अदम चैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैललु शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाविल दफ्तर हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)</p>

